मल्लेशी

बनाम

कर्नाटक राज्य

15 सितंबर 2014

[अरिजीत पासायत और प्रकाश प्रभाकर नौलेकर, जे.जे.]

दंड संहिता, *1860*-धारा *364A*-पिता से फिरौती लेने के लिए पुत्र का व्यपहरण - फिरौती की माँग पुत्र से की गई पिता से नहीं क्योंकि अभियुक्त की गिरफ़्तारी हो गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई - अपील में अभिनिर्धारितः अपहरण का उद्देश्य फिरौती प्राप्त करना था और केवल इसलिए कि माँग को पिता तक नहीं पहुँचाया जा सका, यह आरोपी के अपराध को दंड संहिता की धारा *364A* के दायरे से बाहर नहीं करता - धारा *362*।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जब पी.ड.**2** अपने सहपाठी पी.ड.**3** और दोस्त पी.ड.**4** के साथ अपने कॉलेज से बाहर आ रहा था तब अपीलार्थी-आरोपी ने उसे बुलाया और कहा की वह उसके पिता को जानता है। अपीलार्थी ने पी.ड.**2** से यह कहते हुए कि वह अपने बेटे का कॉलेज में दाख़िला करवाना चाहता है कॉलेज की फ़ीस वह अन्य ख़र्चों के बारे में

पूछताछ की और उसे पास खड़ी एक जीप की तरफ़ यह कहकर ले गया की उसका बेटा वहाँ पर है। पी.ड.**2** वहाँ गया, वहाँ उसे जीप में बैठने के लिए कहा गया। अपीलार्थी अन्य तीन अभियुक्तों के साथ उसके बग़ल में बैठा। उसके बाद जीप के दरवाज़े बंद कर दिए वह उसे कुछ दूर तक चलाया गया, पी.ड.**2** को धमकी दी गई की वह कोई आवाज़ नहीं करेगा अन्यथा उसकी हत्या कर दी जाएगी। पी.ड.**2** से यह कहते हुए फ़ोन नंबर के बारे में पूछताछ की गई की, उसकी रिहाई के बदले में उसके पिता से **4** लाख रुपये देने के लिए कहा जाए। हालाँकि, रास्ते में उसे दैनिक क्रिया से निर्वत होने के लिए जाने की अनुमति दी गई। उसके साथ अपीलार्थी के सहयोगी थे और उसे पीने के लिए पानी भी दिया गया था। जब जीप को एक गाँव के नज़दीक रोका गया और आरोपी सिगरेट ख़रीदने के लिए नीचे उतरा, पी.ड.**2** भाग गया।

उसने जाकर ग्राम वासियों को सूचना दी, जिन्होंने आकर सभी अभियुक्तगण को पकड़ लिया और पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। उन सभी को पुलिस स्टेशन में ले जाया गया और पी.ड.**2** के द्वारा दी गई शिकायत को दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पी.ड.**3** और पी.ड.**4** ने कथन किया की उन्होंने अपीलार्थी को पी.ड.**2** को बुलाते हुए और उनको वाहन की तरफ़ एक साथ जाते हुए देखा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपीलार्थी ने अपने तीन साहभियुक्तों के साथ मिलकर, जो घटना के दौरान

जीप में थे पी.ड.**2** का कॉलेज से व्यपहरण किया। विचारण के दौरान हालाँकि पी.ड.**4** ने अपने कथनों से इंकार किया, उसकी साक्ष्य पी.ड.**2** और पी.ड.**3** के कथनों का इस हद तक समर्थन करती है की पी.ड.**2** को किसी व्यक्ति के साथ जीप में जाते हुए देखा था। विचारण न्यायालय द्वारा पी.ड.**2** और पी.ड.**3** की साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दण्ड संहिता की धारा **364A** भा.द.स. के तहत दोषी ठहराया, जबकि शेष अभियुक्त गण को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त किया। उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी का तर्क है की चूँकि पी.ड.**2** के पिता को माँग से अवगत नहीं करवाया गया, इसलिए माँग करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

प्रत्यार्थी-राज्य द्वारा तर्क दिया गया की भा.द.स. की धारा **364** ए की स्पष्ट भाषा को मद्देनज़र रखते हुए अपीलार्थी को उक्त धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध ठहराना उचित था।

अपील ख़ारिज करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित :

1. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई तथ्यात्मक स्थिति से यह पता चलता है की पी.ड.**2** के अपहरण का उद्देश्य फिरौती प्राप्त करने के लिए था जिसके बारे में पीड़ित पी.ड.**2** को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। उसे भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में भी

अवगत करवा दिया गया था। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो **[447-D; 448-A]**

2.1 भा.द.स. की धारा **364A** अपहरण और व्यपहरण के संदर्भ में है। पश्चातवर्ती को धारा **362** में परिभाषित किया गया है। प्रावधान में बताया गया है कि व्यपहरण दो तरह के होते है वह इस प्रकार है, **(1)** बल प्रयोग द्वारा अथवा मजबूर करके; और/अथवा **(2)** छल के माध्यम से। इस तरह के प्रलोभन अथवा बाध्य करने का उद्देश्य पीड़ित का किसी स्थान से जाना होना चाहिए। हस्तगत मामला दूसरी श्रणी के अन्तर्गत आता है। **[446-C, D]**

2.2 प्रेरित करने का अर्थ है नेतृत्व करना। साधारण शब्दकोश के अनुसार छल का अर्थ है कुछ भी जिसका आशय दूसरे को गुमराह करना होता है। आरोपी द्वारा किया गया अपना वादा पूरा करने पर भी प्रश्न यह उठता है कि क्या वह सद्भावनापूर्वक काम कर रहा था। **[446-E]**

ब्लैक का कानूनी शब्दकोश, संदर्भित।

3. इसे एक स्ट्रैट जैकेट सूत्र में नहीं ढाला जा सकता की भुगतान की माँग उस व्यक्ति से की जानी चाहिये जो माँग करने के बाद अंततः भुगतान करता है। मात्र इसलिए कि माँग को किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुँचाया जा सका क्योंकि इस दौरान अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया गया था, यह आरोपी को धारा **364A** के अपराध के दायरे से बाहर नहीं करता।

ऐसे मामले में यह देखा जाना चाहिए की अपहरण या व्यपहरण का आशय क्या था। व्यपहरण का आवश्यक तत्व यह है कि हिरासत में रहने के लिए मजबूर करना और फिरौती की माँग करना। वर्तमान प्रकरण में माँग के बारे में पीड़ित को सूचित करके माँग पहले ही की जा चुकी है। माँग करने का कोई निश्चित तरीक़ा नहीं हो सकता है। फिरौती का भुगतान कौन करता है, यह निर्णायक तथ्य नहीं है। **[447-D, E, F, H; 448-A]**

- नेत्र पाल बनाम राज्य *(एनसीटी दिल्ली की),* **(2001)** क्रि ला.ज. **1669,** विशिष्ठ।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1343 वर्ष 2002

कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 26.06.2002 से, जो कि आपराधिक अपील संख्या 236 वर्ष 2000 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से - बिमल रॉय जड (ए.सी.)

प्रत्यार्थी की ओर से - संजय आर. हेगड़े

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

अरिजीत पासायत, जे.

अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा.द.स.) 1860 की धारा 364A के अपराध के लिए विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (इसके पश्चात विचारण न्यायालय) चित्रदुर्ग द्वारा दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय की पुष्टि की गई। यह ध्यान देने योग्य है की चार व्यक्तियों द्वारा विचारण का सामना किया गया था। सुविधा के लिए अपीलार्थी अभियुक्त को A1 और सहअभियुक्तगण को A2 से A4 के रूप में संबोधित किया गया है उन्हें न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था।

जिन आरोपों के कारण अभियुक्तगण का विचारण किया गया था वह इस प्रकार है:

विजय भास्कर, (पी.ड.2) एस.जे.एम. कॉलेज का विद्यार्थी था जो चित्रदुर्ग में होलाकेरे मार्ग पर स्तिथ है, वह बी.एस.सी. प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और चैलेकरे में अपने चाचा के घर में रह रहा था। वह रोज़ाना कॉलेज जाने के लिए बस द्वारा चित्रदूर्ग आया करता था। जगदीश (पी.ड.3) पी.ड.2 का सहपाठी था और चैलेकरे का निवासी था, आमतौर पर दोनों चैलकेरे से चित्रदुर्ग एक साथ आते थे। दिनांक 25.11.1997 को विजयभास्कर, (पी.ड.2), जगदीश (पी.ड.3) और उनका दोस्त राघवेंद्र, (पी.ड.4) ने अपने व्यावहारिक कक्षा समाप्त की और दोपहर लगभग 2:45 बजे कॉलेज से बाहर आ गये। उस समय एक व्यक्ति ने पी.ड.2 को नाम

लेकर बुलाया , उसने मुड़कर उसे देखा, उसने सफ़ेद कमीज़ और पेंट पहनी हुई थी। पी.ड.2 उसके पास गया और उस व्यक्ति ने उसे बताया की वह उसके पिता हनुवंत राव को जानता है क्योंकि वह इमली के व्यापार के सिलसिले में अनन्तपुर ज़िले के चिन्तारफली गाँव आते थे। उसने पी.ड.2 से शुल्क और अन्य ख़र्चों के बारे में यह कहते हुए पूछताछ की कि वह अपने बेटे का दाख़िला करवाना चाहता है। पी.ड.2 ने उसे बताया कि कॉलेज का खर्चा लगभग दो हज़ार रुपये होगा। उक्त व्यक्ति पी.ड.2 को जीप की तरफ़ यह कहते हुए ले गया की उसका बेटा वहाँ है। पी.ड.2 वहाँ गया उसे जीप में बैठने के लिए कहा गया। तीन अन्य व्यक्ति भी आये और जीप में बैठ गये। वह व्यक्ति उसके बग़ल में बैठ गया। जीप में दो चालक थे उन्होंने जीप के दरवाज़े बंद कर दिए और उसे चलाकर चैलेकरे की तरफ़ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर ले जाने लगे। चैलेकरे द्वारा को पार करने तक उन्होंने पी.ड.2 के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसके बाद उसे धमकी दी गई की उसने कोई आवाज़ की तो उसे मार दिया जाएगा। चैलेकरे को पार करने के बाद उन्होंने उससे फ़ोन नंबर के बारे में यह कहते हुए पूछताछ की कि वह उसकी रिहाई के बदले में उसके पिता से 4 लाख रुपये की माँग करेंगे। पी.ड.2 ने उन्हें बताया की इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं हो सकती है, वह ऋण लेकर मुश्किल से 50 हज़ार रुपयों की व्यवस्था कर सकते है। उन्होंने उसे कहा कि उनके बॉस कम से कम 2 लाख रुपये चाहते है। रास्ते में उन्होंने उसे दैनिकक्रिया से निवरत होने की अनुमति

दी। हालाँकि उनमें से कुछ उसके साथ रहे थे। उसे पीने के लिए पानी भी दिया गया। उन्होंने वाहन को एक गाँव के नज़दीक रोका और आरोपी सिगरेट ख़रीदने के लिए नीचे उतरा। जीप में सवार चालकों ने उसे भाग जाने के लिए कहा जिसपर पी.ड.2 भाग गया। उसे पता चला कि वह गाँव बैरागपुर है। उसने जाकर गाँववासियों को सूचना दी और उन्हें जीप के पास ले गया। उन्होंने उस जीप को घेर लिया, आरोपिगण को पकड़ लिया तथा मोलाकालमुरनू की पुलिस को सूचित किया। उन सभी को उक्त जीप के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके बाद पी.ड.2 द्वारा शिकायत प्रदर्श P2 देने पर उसे दर्ज किया गया। इसके बाद प्रकरण को चित्रदुर्ग ग्रामीण पुलिस को स्थान्तरित कर दिया गया और उसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष अनुसार आरोपी संख्या 1 मल्लेशी वह व्यक्ति था जो सफ़ेद कमीज़ और पेंट में था, जिसने पी.ड.2 का कॉलेज से व्यपहरण किया था और अभियुक्तगण संख्या 2 से 4 वह अन्य व्यक्ति थे जो घटना दौरान जीप में थे।

विचारण न्यायालय द्वारा पी.ड.2 जो की मुख्य गवाह है और जिसके अपहरण का आरोप है की साक्ष्य का विश्लेषण किया पी.ड.3 और 4 द्वारा भी घटना के एक हिस्से को देखे जाने का कथन किया गया है, A1 द्वारा पीड़ित पी.ड.2 को बुलाना और वह एक साथ वाहन की तरफ़ जा रहे थे। हालाँकि पी.ड.4 ने जाँच के दौरान दिए गए बयान से इंकार किया लेकिन उसकी साक्ष्य ने पी.ड.2 और 3 के बयानों की पुष्टि इस हद तक की है की

उन्होंने पी.ड.2 को किसी के साथ ट्रैक्स जीप की ओर जाते देखा था। पी.ड.6 और 11 वाहन के चालक थे। उन्होंने जाँच के दौरान किए गये अपने बयानों से इंकार किया। विचारण न्यायालय पी.ड.2 और 3 की साक्ष्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वाहन और अभियुक्तगण को ग्रामवासियों द्वारा परिरूद्ध कर लिया गया था तथा उन्हें वहीं से गिरफ़्तार कर लिया गया था। अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी पाया जबकि A2 से A4 को उनके ख़िलाफ़ दोषसिद्धि के लिए प्रयाप्त सबूत नहीं होने के कारण दोष मुक्त किया गया।

अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया की विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किए जाने के बाद दिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा सबूतों का विस्तार से विश्लेषण करने के पश्चात विचारण न्यायालय के विचार की पुष्टि की। तदनुसार अपील ख़ारिज की गई।

अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया की पी.ड.2 का साक्ष्य कथित अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। पी.ड.2 का आरोपी के साथ पहले से कोई परिचय नहीं था। चूँकि अपीलार्थी की कोई पहचान परेड परीक्षित नहीं हुई थी इसलिए अभियुक्त को दोषी ठहराने का न्यायालय का निर्णय सही नहीं था। फिरौती की कथित

माँग स्थापित नहीं हुई है। किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से फिरौती की माँग नहीं की गई। इसलिए धारा 364A का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

प्रत्युत्तर में कर्नाटक राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि दोनों न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद दिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। आगे यह तर्क दिया कि धारा 364A की स्पष्ट धारा को देखते हुए यह साफ़ है की भा.द.स. की धारा 364A के तहत दोषी ठहराना उचित था।

364 धारा की परिभाषा इस प्रकार से है:

"जो भी किसी का अपहरण करता है या किसी व्यक्ति को अपहरण करने के बाद उसे हिरासत में रखता है और उस व्यक्ति को मौत का डर या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या अपने आचरण से ऐसी एक संभावना पैदा करता है कि ऐसा व्यक्ति मौत का सामना कर सकता है या चोट पहुंचा सकता है, या सरकार या (किसी विदेश राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति) को किसी कार्रवाई करने या किसी कार्रवाई से परहेज़ करने या भुगतान करने के लिए फिरौती की माँग करता है ऐसे किसी व्यक्ति को मृत्यदंड या आजीवनकारावास की सजा से दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।"

इस धारा में "अपहरण" और "व्यपहरण" दोनों का स्थान है। धारा 359 अपहरण को परिभाषित करती है। उक्त प्रावधान के अनुसार, दो प्रकार के अपहरण होते हैं, यानी (1) भारत से अपहरण; और (2) विधिक संरक्षण से अपहरण।

व्यपहरण को धारा 362 में परिभाषित किया। प्रावधानों में बताया गया है की व्यपहरण दो प्रकार के होते जोकि 1. बल प्रयोग द्वारा अथवा मजबूर करके, और/अथवा 2. छल के माध्यम से, इस तरह के प्रलोभन अथवा बाध्य करने का आशय पीड़ित का किसी स्थान से जाना होना चाहिए। हस्तगत मामला इसी श्रेणी में आता है |

प्रेरित करने का अर्थ है नेतृत्व करना। साधारण शब्दकोश के अनुसार छल का अर्थ है ऐसा कोई भी कार्य जिसका आशय दूसरे को गुमराह करना होता है। आरोपी द्वारा अपना वादा पूरा किए जाने पर भी प्रश्न यह उठता है की क्या वह कार्य सदभावना पूर्वक किया गया था।

व्यपरहण का अपराध एक लगातार अपराध है। इस धारा का संशोधन 1992 में अधिनियम XLII वर्ष 1993 के द्वारा किया गया था जो 22.05.1993 से प्रभाव में आया था और उसके पश्चात 1995 में अधिनियम XXIV वर्ष 1995 जो 26.05.1995 से प्रभाव में आया। इस धारा में अपहरण, व्यपहरण या फिरौती के लिए हिरासत में रखने के लिए दण्ड का प्रावधान है।

धारा 364A के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए क्या साबित करना होता है वह इस प्रकार है (1) अभियुक्त ने उस व्यक्ति का अपहरण या व्यापहरण किया, और (2) और इस तरह के अपहरण या व्यपहरण के बाद उसे हिरासत में रखा, (3) कि अपहरण या व्यपहरण फिरौती के लिए था। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर काफ़ी निर्भरता रखी गई थी, नेत्र पाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2001) क्रि ला.ज. 1669 जिसमें अभिनिर्धारित किया कि चूँकि फिरौती की माँग पी.ड.2 के पिता को नहीं बताई, माँग करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

ब्लैक का कानूनी शब्दकोश के अनुसार "फिरौती देने का अर्थ "फिरौती की क़ीमत देना या फिरौती में की गई माँग को पूरा करना । शब्द "माँग" का अर्थ है अपनी लेन दारी का दावा करना; "आवश्यकता के लिए"; "राहत माँगना"; "हाज़िर रहने के लिए"; "न्यायालय में बुलाने के लिए"; "यह एक अनिवार्य अनुरोध है जो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे से किया जाता है, कुछ करने या देने या कुछ करने से विरत रहने के लिए;" या दावा करते हुए अधिकार के साथ माँग की जाति है। परिभाषा के अनुसार जैसा की ऊपर इंगित किया गया है दर्शित करता है की माँग को संप्रेषित करना आवश्यक है। यह एक अनिवार्य अनुरोध या किया गया दावा है।

नेत्र पाल का प्रकरण (सर्वोच्च) था जिसमें एक बच्चे का अपहरण किया गया था। न्यायालय ने एक तथ्य के रूप में पाया की चूँकि पीड़ित

एक बच्चा था इसलिए उससे फिरौती की माँग नहीं की जा सकती थी और केवल उसके अभिभावकों से फिरौती कि माँग की जा सकती थी। उस तथ्यात्मक पृष्ठ भूमि में यह अभी निर्धारित किया गया की अपराध धारा 364A के तहत नहीं था, बल्कि भा.द.स. की धारा 362 के अनुसार था। तदनुसार अभियुक्त की दोषसिद्धि को भा.द.स. की धारा 363 और 365 से संबंधित अपराधों में परिवर्तित कर दिया गया।

वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पाई गई तथ्यात्मक स्थिति से यह सिद्ध होता है की व्यपहरण का उद्देश्य फिरौती था, जो स्पष्ट रूप से पी.ड.2 को बता दिया गया था। उसे भुगतान की जाने वाली राशि भी बता दी गई थी। इसे एक स्ट्रेट जैकेट सूत्र के रूप में नहीं लिया जा सकता है की भुगतान की माँग उस व्यक्ति से कि जानी चाहिये जो अनंतः भुगतान करता है, उदाहरण के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि एक अमीर व्यापारी का अपहरण कर लिया जाता है और उसे बताया जाता है की उसकी रिहाई के लिए उसके परिवार के सदस्यों को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा लेकिन पैसा वास्तव में अपहृत व्यक्ति का है। रिहाई के लि भुगतान उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनसे माँग कि गई है। यह माँग मूल रूप से अपहृत या व्यपहृत व्यक्ति से की जाती है। व्यपहरण व्यक्ति से माँग करने के पश्चात मात्र इसलिए यह माँग को किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं पहुँचाया जा सका क्योंकि इस दौरान अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया गया। यह अपराध को धारा 364A के

दायरे से बाहर नहीं करता है। ऐसे मामले में यह देखना होता हैं की अपहरण या व्यपहरण का उद्देश्य क्या था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि आवश्यक तत्व एकांत में परिरोधित रखना और फिरौती की माँग करना है। वर्तमान प्रकरण में पीड़ित को सूचना देकर पहले ही माँग की जा चुकी है। नेत्र पाल के प्रकरण (सर्वोच्च) न्यायालय द्वारा कहा गया की भुगतान करने की कोई माँग नहीं की गई थी उस मामले में तथ्यात्मक स्थिति जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है पीड़ित एक बच्चा था जिससे कोई माँग नहीं की जा सकती थी। इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय का यह विचार था की धारा 364A लागू नहीं होती क्योंकि माँग की सूचना नहीं दी गई थी। यहाँ पर तथ्यात्मक स्थिति अलग है अंततः जिस प्रश्न का निर्धारण किया जाना है वह यह है कि "आशय क्या था? क्या वह फिरौती की माँग थी?"

माँग करने का कोई निश्चित तरीक़ा नहीं हो सकता है। फिरौती का भुगतान कौन करता है, यह निर्णायक तथ्य नहीं है, जैसे की ऊपर चर्चा कि गई है।

ऊपर की स्थिति के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

अपील ख़ारिज की जाती है।

वी.एस.एस.

अपील ख़ारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता जितेन्द्रसिंह जोधा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।